मुख्यमंत्री का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय ऐतिहासिक: साधु-संत

पूरे प्रदेश में राजस्थान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए, देवस्थानों में विशेष पूजा-अर्चना की गई

■ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है तथा सनातन संस्कृति के लिये नई पहल, परम्परा व नवाचार है।

जयपुर, 30 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा के क्रम में रविवार को सम्पूर्ण प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए गए है। राज्य के देवस्थानों में राजस्थान दिवस पर विशेष पूजा-अर्चना की गई। भारतीय रीति-नीति से राजस्थान दिवस मनाने की इस पहल पर देश व प्रदेश के साधु, संतों, महंत व आचार्यों ने संदेश भेजकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है।

बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय सनातन संस्कृति के लिए नई पहल, परंपरा और नवाचार है। साथ ही, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दिखाता है। आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान स्थापना दिवस को सनातन संस्कृति के अंतर्गत नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं।

आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसले से 75 वर्ष बाद चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवसंवत्सर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह निर्णय सभी को गौरवान्वित करने वाला है। परमार्थ निकेतन, हरिद्वार के संत निरंजन स्वामी ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया।

गणेश मंदिर मोती डूंगरी के महन्त कैलाश शर्मा ने कहा कि राजस्थान दिवस संवत् 2082 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जा रहा है, इसके लिए समस्त राजस्थान वासियों की ओर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद।

हाथोज धाम से स्वामी बालमुकुन्दाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

गणेश मंदिर, रणथम्भौर के महंत हिमांशु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने के निर्णय से सनातन संस्कृति को नवीन ऊर्जा मिली है।

सालासर बालाजी के पुजारी मांगीलाल, श्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के ट्रस्टी कांतिलाल पंचाल, ब्रह्मा जी मंदिर, पुष्कर के पुजारी कृष्णगोपाल वशिष्ठ, जीण माता मंदिर, सीकर के पुजारी दीपक पाराशर, महाकालिका शक्तिपीठ, ऋषभदेव के पीठाधीश्वर भरत भूषण जोशी ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

बेणेश्वर पीठ के महंत अच्युतानंद महाराज ने कहा, मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य है। इस निर्णय से सनातन संस्कृति और अधिक मजबूत बनेगी।

गोपाल पुरूषोत्तम आश्रम, चित्तौड़गढ़ के श्री 1008 श्री सुदर्शनाचार्य महाराज ने कहा कि 30 मार्च 1949 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री शर्मा के प्रयासों से नवसंवत्सर एवं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने की अभूतपूर्व पहल हुई है। उन्होंने संत समाज की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

ट्रम्प ने मोदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यात्रा के दौरान, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और गहरा बनाने का संकल्प लिया था, ताकि ग्रोथ को बल मिले और निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार-सृजन सुनिश्चित हो सकें।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक नया द्विपक्षीय व्यापार-लक्ष्य "मिशन 500" तय किया था, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के सामान और सेवाओं के व्यापार को दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर, 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुँचाना है।

'वोट के लिए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में मछुआरों की समस्याओं का हल किया जाए। उन्होंने परान्दूर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का भी विरोध किया। दो भाषा फार्मूला का समर्थन किया और परिसीमन का विरोध किया। उन्होंने राज्यों को ज्यादा स्वायत्ता देने की मांग की और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित हल के लिए फास्टट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की। जातिगत सर्वे करवाने की मांग की तथा कानून व्यवस्था के लिए द्रमुक सरकार की आलोचना की।

भारत ने दो नौसैनिक पोत में राहत सामग्री म्यांमार भेजी

■ म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 17 सौ हो गई तथा 3400 घायल हैं।

नयी दिल्ली, 30 मार्च। म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा म्यांमार को सहायता के लिए शुरू किये गये अभियान "ब्रह्मा" के तहत नौसेना की पूर्वी कमान से नौसैनिक पोत, सतपुड़ा और सावित्री, मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ यांगून जा रहे हैं।

भारतीय सेना की 10 राहतकर्मियों की पहली टुकड़ी स्थानीय समय के अनुसार शाम पौने छह बजे मंदाले हवाई अड्डा पहुंच गयी और फील्ड अस्पताल स्थापित करने के लिए जगह की पहचान की जा रही है।

वायु सेना के अनुसार अभी तक उसके मालवाहक विमानों में 96 टन राहत सामग्री और 198 सहायताकर्मियों को म्यांमार भेजा जा चुका है।

नौसेना के दो नौसैनिक पोत के अलावा अंडमान और निकोबार कमान से नौसेना के जहाज करमुक और एलसीयू 52 भी सहायता के लिए यांगून रवाना हो रहे हैं।

इन जहाजों पर लगभग 52 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है, जिसमें आवश्यक कपड़े, पीने का पानी, भोजन, दवाएं और आपातकालीन स्टोर वाले एचएडीआर पैलेट शामिल हैं।

म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद ने रविवार को यह जानकारी दी कि म्यांमार में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 1700 हो गई है तथा 3400 लोग घायल हो गए हैं।

स्थानीय अधिकारियों ने दिन में पहले बताया कि भूकंप से भूमिगत तेल पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा बिजली की लाइनें भी कट गई हैं।

पराली जलाने पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर कई आदेश पारित हो चुके हैं, अतः हस्तक्षेप के लिए आवेदन की इजाज़त नहीं देना चाहते

■ याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व के निर्देशों की सही पालना नहीं हो रही है। सरकारी एजेन्सियाँ स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा में विफल रही हैं।

नयी दिल्ली, 30 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने पर नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, इस अदालत ने पराली जलाने के मुद्दे पर कई आदेश पारित किए हैं और अभी भी मामले पर विचार किया जा रहा है, तो हम विभिन्न पक्षों को इस मामले में हस्तक्षेप और निर्देश के लिए आवेदन दायर करने की इजाजत नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि अप्रैल-मई में पराली जलाने से उत्पन्न प्रदूषण से न केवल दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि उन राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है, जहां पराली जलाई जाती है।

याचिका में दावा किया गया है कि बच्चे और बुजुर्ग इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय संकट बन गया है, जो देश में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए अनेक निर्देशों के बावजूद, उनका सही से पालन नहीं हो रहा है। सरकारी एजेंसियां और हितधारक सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।

बेंगलुरु...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं।

ईस्ट कोस्ट रेलवे के सुत्रों ने कहा कि दुर्घटना राहत और चिकित्सा राहत ट्रेन को भी घटनास्थल पर भेज दिया गया है। प्रभावित ट्रेन में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है।

मिज़ोरम में विदेशियों को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना होगा

केन्द्र सरकार ने म्यांमार की सीमा से लगे मिज़ोरम, मणिपुर व नागालैंड में यह परमिट दोबारा लागू करने के निर्देश दिये

■ केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर लेंगपुई एयरपोर्ट पर एक होल्डिंग एरिया की पहचान की जा रही है।

आइजोल, 30 मार्च। मिज़ोरम सरकार संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (पीएपी) को लागू करने जा रही है। यह कदम केंद्र की ओर से म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर के तीन राज्यों, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड में पीएपी को दोबारा लागू करने के निर्देश के बाद उठाया है।

मिज़ोरम सरकार राज्य में जो संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्रणाली लागू करने जा रही है वह विदेशी नागरिकों के लिए कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में जाने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज है।

मिज़ोरम के गृह सचिव वनलालमाविया ने बताया कि राज्य सरकार पीएपी को लागू करने की दिशा में कदम उठा रही है, जिसे प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कहा, हम पीएपी को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर लेंगपुई एयरपोर्ट पर एक होल्डिंग एरिया की भी पहचान की जा रही है।

पूरा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और मिज़ोरम तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

2011 में, केंद्र ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर, नागालैंड और मिज़ोरम में पीएपी व्यवस्था में छूट दी थी और अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों को छोड़कर सभी विदेशियों को इससे मुक्त कर दिया था। बाद में यह छूट समय-समय पर बढ़ाई गई और यह दिसंबर 2027 तक प्रभावी थी।

कॉर्बेट पार्क ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों को सूचना दी गयी। शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाघिन के शव पर गहरे चोट के निशान थे और सिर से काफी खून बहा था। मौके पर हाथियों के पैरों के निशान भी देखे गए।

इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघिन की मौत दोनों जानवरों के आपसी संघर्ष में हुई है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600